

36/26

पत्रावली पेश हुई। वहुलाए कलीडिंग उपस्थित।  
 वादीगण द्वारा फर्द अहकाम पर दावा अर्ज  
 नहीं चलाये का नकल अर्जित किया। फिल पर  
 प्रतिवादीगण के कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।  
 CPC 023 R1 के तहत वादी स्वयं मुकदमा  
 वापिस लेना चाहता है। इसलिए उसे  
 मुकदमा जारी रखने के लिए मजबूर नहीं  
 किया जा सकता है। अतः वादी को वाद  
 कापस लेने की अनुमति प्रदान की  
 जाती है। " वादी की ओर से नए सिद्धे के  
 तथा वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति  
 नहीं होगी यदि है और न ही न्यायालय  
 द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रदान की जायेगी।  
 तदनुसार नतीजा वाद वादी द्वारा वापस ले  
 जाने के कारण खारिज किया जाता है।  
 वादी-वाद इस खर्च वहन करेगा। पत्रावली  
 नम्बर के अन्तर्गत जारी दायित्व दर्ज है।

*[Signature]*  
 सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) भादरा

मुकदमे - कोई  
 कार्यवाही नहीं  
 चाहते

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
 (फास्ट ट्रेक)

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

अलवा न सिट्स  
 जाय नौर

*[Signature]*  
 रोहतास